

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 06.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 38 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार पुत्र पाटनदीन सोनकर नि० बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 193 / 2021, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही –

01. दिलीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि० भैसहा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 04 ली० अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 156 / 21, 02. रामदीन कोरी पुत्र स्व० ननकऊ नि० महौरी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 157 / 21, 03. प्रदीप कोरी पुत्र रामदीन कोरी नि० मौहारी मौजा खरगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 157 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 04. नन्हे निषाद पुत्र जग्गी निषाद नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 02 किलो यूरिया, 01 किलो नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 159 / 21, धारा 272 भादवि० व 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही –

01. पटवारी पुत्र संतराम नि० नायकपुरवा भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 177 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.06.2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पूरे तिवारी के पास से जुआं खेलते हुए कुल 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रु० 4150/- नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० देहात में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फिरोज पुत्र कप्तान नि० पूरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. अहमद रजा पुत्र मो० याकूब नि० पूरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
03. मोनू उर्फ मुस्ताक पुत्र मुरादअली नि० पूरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
04. टिकू पुत्र गुटनू नि० पूरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु०अ०सं०- 221 / 21, धारा 13 जुआ अधि० थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- उ०नि० जितेन्द्र कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.06.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0- 163 / 21, धारा- 354 भादवि व 7 / 8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निजाम को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. निजाम पुत्र गुलफाम नि0 रिधौरा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-163 / 21, धारा-354 भादवि0 व 7 / 8 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अरुण कुमार राय मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.06.2021

बलवा व मारपीट करने के 03 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 16.04.2021 को थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत महादेवा क्रांसिग के पास अभियुक्तगणों ने बस को रोककर वादी के भाई के साथ मारपीट की थी तथा बस को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिसमें वादी रिजवान अली के भाई को गंभीर चोटें आयी थी तथा वह मौके पर बेहोश हो गये थे जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0नगर में मु0अ0सं0- 297 / 21, धारा-147,148,149,323,504,506,308,427,327,386,325 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0नगर पुलिस ने वांछित चल रहे 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामप्रकाश उर्फ लखपत पुत्र विन्देश्वरी नि0 सिनकिहवा रूद्रपुर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. गोली उर्फ प्रमोद पुत्र शिवकुमार नि0 सिनकिहवा रूद्रपुर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
04. प्रदीप पुत्र सुखदेव नि0 सिनकिहवा रूद्रपुर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 297 / 21, धारा-147,148,149,323,504,506,308,427,327,386,325 भादवि0 जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 ऋषिकेश मणि त्रिपाठी मय टीम।